

24/11-15/2016/14-1

(1)

पेजी
मोहन सिंह
9/2/16
5/11/16

460
10-2-16

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

एकल नस्ती क्रमांक/अ-2/यू.डी./स्था/144/2016

विषय:-याचिका क्रमांक/डब्ल्यू0पी0 06/2016 द्वारा श्री मेहताब सिंह गुर्जर,
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला रायसेन विरुद्ध मध्यप्रदेश
शासन व अन्य

विषयान्तर्गत प्रस्तुत याचिका क्रमांक/डब्ल्यू0पी0 06/2016 (एस) द्वारा
श्री मेहताब सिंह गुर्जर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन
व अन्य में प्रभारी अधिकारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला
मुरैना म0प्र को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त याचिका की दो
छाया प्रतियाँ एवं आदेश की 10 प्रतियाँ हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है, हस्ताक्षर के
उपरान्त नस्ती विधि विभाग को अंकित करते हुये वाद का प्रतिरक्षण करने
हेतु शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित करने के लिये निवेदन करना चाहेंगे।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल।

संयुक्त संचालक (स्थापना)

24/11/16/अ-2-333/144/2016
20/11/16

31

(2)

2016-11-15/16/14-1

एकल नस्ती क्रमांक/अ-2/यू.डी./स्था/144/2016

विषय:-याचिका क्रमांक/डब्ल्यू0पी0 06/2016 द्वारा श्री मेहताब सिंह गुर्जर,
वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जिला रायसेन विरुद्ध मध्यप्रदेश
शासन व अन्य

पूर्व पृष्ठ से आगे :-

कृपया संयुक्त संचालक (रक्षा) किलान
कलमान तथा द्विष विकास से उक्त विषयान्वित पृष्ठ-1
में प्राप्त प्रस्ताव का अध्ययन करें। जिसमें प्रभावी संचालक
उप संचालक किलान कलमान तथा द्विष विकास जिला
मुरैना (म.प्र.) को नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया
जाया है।

तदनुसार अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनु. अधिकारी

DS(क)

'A' for approval Sir.

प्रमुख सचिव

DS(क)

US(र.च.प.)

50-1

12/2/16

15/2/16

(A) प्रकाशपति।

10/2/16

18/2/16

18/2/16

18/2/16

18/2/16

No. 309-AM/PS/FWAD

Date 15/2/16

294 39
18/2/16 15/2/16

25/11-15/2016/14-1

②

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय: ~~प्राचिन जमात डब्ल्यू पी. 06/16 इत्यादी~~
~~सी मेलाव लिह मुज र बिबु म.प. शासन र रिप~~

मं. वि. इ. वि.
का विभाग

श्वर वल्लभ

कृपया प्रभारी अधिकारी नियुक्त किसे
जाने के संबंध में आदेश की स्वच्छ प्रतियां
हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

25/11/16

B.
25/2/16

अनु. अधि.
पु

कृपया जारी करने के श्वर अवलोकनार्थ।

उप-सचिव:

Amr
26/2/16

जयश्रीकांति
27/1/16

Shubh
27/2/16

US (प.प.)
50-1

Amr
27/2/16
27/2/16

342/16
27/2/16

453-54
29/2/16

सं. 11-15/16/14-1

उत्तरी-2 सचिवालय

विषय: भारतीय किसान संघ पी० 06/2016 द्वारा
श्री मेहताब सिंह गुर्जर विरुद्ध म.प्र. शासन एवं मन्त्रालय

मंत्री. वृषि
का विभाग

पूर्व प्रहरे:-

प्रभारी अधिकारी के निष्पक्षित के आदेश
जारी कर दिने गये हैं। प्रतिरक्षण आदेश जारी
किसे जाने के संबंध में से प्रमाण विभाग
को अंकित करना चाहें।

P-23/C

11/3/16

11/3/16

अनु. प्रमाण

प्र

11/03/16

उप सचिव:

सर प्रतिरक्षण आदेश हेतु
प्रमाण विधि विभाग को अंकित करना
पहेंगे।

11/03/16

प्रमुख सचिव

प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती कंडि।

प्रमुख सचिव (विधि)

11/03/16

मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
भोपाल

No. 309/PS/FWAD
Date 3/3/2016

484/16
2/3/16

7160

331/16
IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
GWALIOR

Process Id: 629/2016

WP/6/2016

Fixed for 22-02-2016

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

DA- 07

Respondent No. 2
RAD

To,

Director Kisan Kalyan Evam Krishi Vikas,
Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

804
14.1.16

Gwalior 11-01-2016

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 6/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Mehtabsingh Gurjar** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/6/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **22-02-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

585
25/1/16
(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

14/1/16
28/1/16

Your faithfully

Signature
12-1-16

SECTION OFFICER

Section Officer

High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

A2/3/16

41
28.1.16

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ -11/15 /2016/14-1,
आदेश

भोपाल, दिनांक 29-2-16


सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक-5) आदेश सत्ताईस के नियम 1(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए प्रभारी अधिकारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मुरैना (पक्षकारों के नाम) द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी0 06/2016 (एस) द्वारा श्री मेहताब सिंह गुर्जर (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी) एवं अन्य में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनाओं पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संज्ञात होने के लिए नियुक्त करते हैं । प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गए हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1- प्रभारी अधिकारी तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा । यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी ।
- 2- समस्त सुसंगत/फाइलें, दस्तावेजन नियम, अधिसूचनाएं तथा आदेश एकत्रित करेगा ।
- 3- वाद पत्र/याचिका में उठाये गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनमें की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा ।
- 4- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा ।
- 5- शासकीय अधिवक्ता के सहायता से लिखित कथन तैयार करवाएगा ।
- 6- शासकीय अधिवक्ता की आवश्यकता अनुसार सहायता करेगा ।
- 7- प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
 - (अ) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकारी की एक रिपोर्ट ।
 - (ब) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप ।
 - (स) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है ।
 - (द) मामले के विरुद्धीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए ।

// 2 //

- 8- मामले की तैयारी और संचालन करने की शासकीय अधिकृत का सहयोग करना और मामले उसे प्रक्रम और प्रगति के लिये किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना
- 9- जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतः मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस का आवेदन करना ।
- 10- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिकृत की राय अगली कार्यवाही किए जाने के लिये इस विभाग को भेजना ।
- 11- यह देखना है कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- 12- जैसे ही उसे अपना स्थानांतरण आदेश प्राप्त होता है यह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा । वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये ।
- 13- प्रभारी अधिकारी मामले तैयार करने में शासकीय अधिकृत को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकाशित छुपी हुई नहीं रह जाये ।
- 14- प्रभारी अधिकारी, नाम दिनांक अभियोजक मुकदमा है तो वह, जैसे ही वाद का विशिष्ट होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा । निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए ।
- 15- प्रभारी अधिकारी या अन्य यदि लोक अभियोजक मुकदमा है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अंतिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है । अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जावे विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ (सरकार) प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


अवर सचिव 27/2/16

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

B.

// 3 //

भोपाल, दिनांक 29-2-16

कमांक एफ -11 / 15 / 2016 / 14-1.

प्रतिलिपि:-

- 1- महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0, ग्वालियर।
- 2- सचिव, म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
- 3- संबंधित कलेक्टर जिला मुरैना मध्य प्रदेश।
- 4- प्रभारी अधिकारी, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला मुरैना (पक्षकारों के नाम) द्वारा याचिका कमांक डब्ल्यू0पी0 06/2016 (एस) द्वारा श्री मेहताब सिंह गुर्जर (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी) अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।
- 5- शासकीय अधिवक्ता, प्लीडर/अभिभाषक जबलपुर /इंदौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
- 6- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, चम्बल संभाग, मुरैना म0प्र0।
- 7- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला होशंगाबाद म0प्र0।
- 8- कृषक प्रशिक्षण केन्द्र पवार खेडा जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश
- 9- उप संचालक लिटिगेशन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संचालनालयीन भोपाल।
- 10- संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म. प्र. भोपाल के पटल कमांक अ-2-3 यू.डी./स्था./...../2016/ स्थापना शाखा संचालनालय भोपाल।

11 आर्डर फॉलउट।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

का/50

B